क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम : Human Resource.

बजट /एफ0एम0आर0 शीर्श (अनुलग्नक–2 के आधार पर): Strengthening of Existing Training Institutions/ School.

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.9.10.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : आवंटित राशि ए0एन0एम0 स्कूल तथा जी0एन0एम0 स्कूल में Data Operator cum Trainer तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के मानदेय भुगतान हेतु दी जा रही है। Data Operator cum Trainer की नियुक्ति एक वर्श के लिये संविदा/अनुबंध के आधार पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा तथा कार्य संतोशजनक पाये जाने पर विस्तसरित किया जा सकेगा। संविदा आधारित चतुर्थ वर्गीय महिला कर्मचारी की नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से करेगी। Data Operator cum Trainer ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 स्कूलों में डाटा एंट्री करने के साथ–साथ ट्रेनिंग स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को कम्प्युटर की Basic Training देने का काम भी करेंगे। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति Multipurpous Helper के रूप में किया जायेगा। जिनसे हॉस्टल एवं स्कूल की साफ–सफाई, Cooking, और अन्य तरह के घरेलु कार्य आदि काम लिये जायेंगे। Data Operator cum Trainer का कार्यक्षेत्र ए0एन0एम0 /जी0एन0एम0 स्कूल तक तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का कार्यक्षेत्र स्कूल एवं छात्रावास तक ही सीमित होगा। राशि का खर्च सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करते हुये किया जाना है।

इकाई राशि **(रू0 में)** : रू0 5,16,000/– प्रति ए0एन0एम0/जी0एन00एम0 स्कूल।

वित्तीय दिशा निर्देश :

- प्रत्येक ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 स्कूल हेतु एक Data Operator cum Trainer की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा की जायेगी। इनका मानदेय 11,000/– (ग्यारह हजार रूपये) प्रतिमाह होगा, जिसका भुगतान जिला स्तर से किया जायेगा।
- प्रत्येक ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 स्कूल हेतु चार चतुर्थ वर्गीय महिला कर्मचारी की संविदागत नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से करेगी। इनका मानदेय 8,000/– (आठ हजार रूपये) प्रतिमाह होगा, जिसका भुगतान जिला स्तर से किया जायेगा।
- ए0एन0एम0 स्कूल हेतु आवंटित राशि जिला स्वास्थ्य समिति को तथा जी0एन0एम0 स्कूल हेतु आवंटित राशि मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक को उपलब्ध कराई जा रही है।
- उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा प्रत्येक भाग का अलग–अलग संबंधित असैनिक भाल्य चिकित्सक एवं संबंधित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक प्रत्येक तीन माह पर जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति समेकिमत रूप से खर्च का ब्यौरा (SOE) राज्य स्वास्थ्य समिति को प्रत्येक तीन माह पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का व्यय बिहार सरकार की वित्तीय नियमावली 2005 के आलोक में की जाएगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेशित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें):
(क) **(ख)** **(ग)**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम: डॉ0 वाई0एन0 पाठक, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (नर्सिंग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर: 9470003829

SKumar Pathak